LANGUAGE RIGHTS

Voter Hotline: 1-888-API-VOTE

ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE AAJC

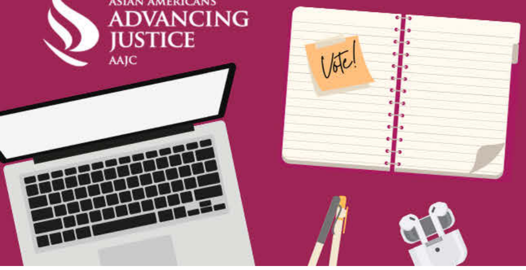

Bilingual assistance is available in Bengali/Bangla (বাংলা), Cantonese (廣東話), English, Hindi (हिंदी), Korean (한국어), Mandarin (普通話), Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ), Tagalog, Urdu (اردو), and Vietnamese (tiếng Việt)

आपको मतदाता (वोटिंग) बूथ में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

हम अपने आप मतदान करनेमें दिक्कत महसूस करते हैं l मतदान में सहायता करने के लिए क्या हम मतदान बूथ में अपने साथ किसी को ला सकते हैं ?

हाँ। आपको मतदान बूथ में अपनी सहायता करने के लिए किसी को लाने का अधिकार है। यह व्यक्ति एक मित्र, रिश्तेदार या आपके भरोसे का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति आपका बॉस या आपके श्रम संघ का एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

कौन सा क़ानून हमें यह अधिकार देता है?

अगर आपको मतदानमे सहायताकी ज़रुरत हो तो मतदान अधिकार अधिनियम (VRA) की धारा 208 हर मतदाता को मतदान बूथ में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को साथ लाने का अधिकार देती है।

क्या आप जानते हैं?

- अपने मतदान (वोट) में सहायता के लिए - आप अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई पड़ोसी या अपने समुदाय के किसी भी विशावसु व्यक्ति को जिस पर आप विश्वास करते हैं, को साथ ला सकते हैं।

हमें कैसे पता चलेगा कि इस क़ानूनका फायदा कौन ले सकते हैं ?

यदि आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है और आपको अंग्रेज़ी समझने में मुश्किल होती है, तो आप इस क़ानूनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नेत्रहीन हैं या ठीक से देख नहीं पाते हैं, कोई विकलांगता है या अंग्रेज़ी पढ़ने - लिखने में परेशानी होती है तबभी आप यह कानूनका फायदा ले सकते हैं I

मतदानमें हमारी सहायता करने के लिए किसी को साथ लाने के लिए चुनाव के दिन हमें क्या करना होगा?

आप अपने सहायक व्यक्ति को मतदान केंद्र पर अपने साथ ले जाएँ और चुनाव अधिकारियों को बताएँ कि आपने इस व्यक्ति को आपकी मतदान में सहायता करने के लिए चुना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत हो सकती है l इसमें लिखा होता है कि आपको अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने, लिखने या समझने में मुश्किल होती है और आपने इस व्यक्ति से सहायता करने के लिए कहा है। आपकी सहायता कर रहे इस व्यक्ति को भी एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की जरूरत हो सकती है कि वह शपथ ग्रहण करता है कि उसने आपको मतदान देनेके लिये किसी प्रकारका दबाव नहीं किया है।

अगर वे मतदान बूथमें हमारे साथ किसी को लाने की अनुमति नहीं देते तो हमें क्या करना चाहिए?

कुछ चुनाव अधिकारी VRA की धारा 208 के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आप अपनी सहायता के लिए किसी को साथ लाएँ हैं और एक चुनाव अधिकारी उनको आपकी सहायता नहीं करने दे रहा है तो उस चुनाव अधिकारी को यह प्रचार-पत्र दिखाएँ। यदि वह चुनाव अधिकारी अभी भी उस व्यक्ति को आपको मतदान में सहायता नहीं करने दे रहा है तो मतदान स्थल पर मौजूद सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी से बात करें या हमारी हॉटलाइन पर कॉल करें: 1-888-**API-VOTE.**

1-888-API-Vote: : मतदान दिवस पर अपनी भाषा में सहायता के लिए फोन करें

सीमित अंग्रेजी भाषी मतदाताओं के लिए मतदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.advancingjustice-aajc.org/voting-rights पर जाएँ

LANGUAGE RIGHTS

Voter Hotline: 1-888-API-VOTE

ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE AAJC

Bilingual assistance is available in Bengali/Bangla (বাংলা), Cantonese (廣東話), English, Hindi (हिंदी), Korean (한국어), Mandarin (普通話), Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ), Tagalog, Urdu (اردو), and Vietnamese (tiếng Việt)

You Have the Right to Assistance in the Voting Booth

I'm not comfortable voting by myself. Can I bring someone with me into the voting booth to help me vote?

Yes. You have the right to bring someone into the voting booth to help you. This person can be a friend, relative, or someone else you trust. It only cannot be your boss or a representative of your labor union.

What law gives me this right?

Section 208 of the Voting Rights Act (VRA) gives every voter the right to bring someone of their choice into the voting booth if they need help voting.

Did you know?

- You can bring a family member, a neighbor – nearly anyone you trust in your community – to help you cast your vote.

How do I know if I can benefit from this law?

If your native language is not English and you have difficulty understanding English, you can use this law. You can also use this law if you are blind or do not see well, have a disability, or have trouble reading or writing.

What do I need to do on Election Day to have someone help me to vote?

Take the person who will help you to the voting place. Tell the election officials that you have chosen this person to help you with voting. You may be required to complete and sign a form that says you have difficulty speaking, reading, writing or understanding English and have asked this person to help you. The person helping you may also be required to sign a form swearing that he or she did not tell you how to vote.

What should I do if they do not allow me to bring someone with me into the voting booth?

Some election officials do not know about section 208 of the VRA. If you bring someone to help you and an election official does not let them help you, show the election official this flyer. If the election official still does not let that person help you vote, talk to the highest ranking official at the polling place or call our hotline: **1-888-API-VOTE**.

1-888-API-VOTE: CALL FOR IN-LANGUAGE HELP ON ELECTION DAY

For more information on voting access for limited English-speaking voters, please visit: www.advancingjustice-aajc.org/language-rights.